

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
जहानाबाद ।

पटना, दिनांक : 11-02-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड-20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद में कुल ₹90,000/- (नब्बे हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-18(7)ब दिनांक-14.06.18, 49(7)ब दिनांक-11.10.18 एवं 64(7)ब दिनांक-05.12.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद में कुल ₹90,000/- (नब्बे हजार रुपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड- 20-2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्राथमिक केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या'...../18 निरंजन कुमार शर्मा सेवा निवृत्त परिधापक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोषी, जहानाबाद के आलोक में दी जा रही है ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

Qam19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 89 (1) A

पटना, दिनांक : 11-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

Qam19

सरकार के विशेष सचिव

Q

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता में अतिरिक्त आवंटन (विपत्र कोड-20-221003110001)
(सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या...../18 निरंजन कुमार शर्मा सेवा निवृत्त परिघापक)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जहानाबाद	70000	7700	7400	1400	3500	90000
	कुल	70000	7700	7400	1400	3500	90000

(नब्बे हजार) रु. मात्र

Qam19

सरकार के विशेष सचिव

Q

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	540000000	535010000	70000	535080000	4920000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	60000000	58851100	7700	58858800	1141200
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	88420000	80251500	7400	80258900	8161100
4	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	15500000	10700200	1400	10701600	4798400
5	अन्य भत्ता (0001-01-07)	27700000	26750500	3500	26754000	946000
6	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	732620000	711563300	90000	711653300	20966700
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	433959	0	433959	566041
7	यात्रा व्यय (0001-11-01)	200000	200000	0	200000	0
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	750000	534000	0	534000	216000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1000000	496000	0	496000	504000
10	दूरभाष (0001-13-03)	3000000	1485000	0	1485000	1515000
11	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	12000000	12000000	0	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	1000000	520000	0	520000	480000
13	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	593000	406000	0	406000	187000
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	11212000	0	0	0	11212000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	29800000	16820000	0	16820000	12980000
16	दवा भंडार (0001-21-02)	15000000	125850000	0	125850000	24150000
17	आहार / पथ्य (0001-21-03)	40000000	19910000	0	19910000	20090000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	10000000	90125000	0	90125000	9875000
20	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (0001-28-02)	10000000	98705000	0	98705000	1295000
20	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	10000000	7535000	0	7535000	2465000
	कुल योग:-	1193176000	1086583259	90000	1086673259	106502741

89(7)9
11-02-19

सरकार के विशेष सचिव

Q